ग्राम पंचायत जोगीपुर, विकास खण्ड काँगडा, जिला काँगडा, हि• प्र• –176001 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जोगीपुर, विकास खण्ड काँगडा, जिला काँगडा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री रिम्पल कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री चन्द्रजीत	01.04.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री मुलख राज	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत जोगीपुर के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹ राशि(लाखों में)
1	4(ग)	रोकड.बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	2.71
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	38.30
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.65
4	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.07
5	8.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	6.30
6	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	12.06
7	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	2.11
8	8.4	निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.15
9	9	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	15.48

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत जोगीपुर के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री दीपक सिंह पठानियां, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.01.2024 से 29.01.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया

गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:—

वर्ष	आय	व्यय
2021—22	07/2021	07/2021
2022—23	03/2023	02/2023

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/—54 दिनांक 29.01.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2023/—38 दिनांकः 20.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्व–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	629738.30	1102735.89	1732474.19	542369.00	1190105.19
2022-23	1190105.19	995033.00	2185138.19	1145039.00	1040099.19

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	1747757.62	8287404.00	10035161.62	7163093.00	2872068.62
2022-23	2872068.62	9124725.00	11996793.62	8167240.62	3829553.00

कुल योग (1+2) 1040099.19+3829553.00 = **4869652.19**

(ख). बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति से ₹4869652.19/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹4598648.81/– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित/एस.डी.आर.एफ/वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक काँगड़ा	20033055055	848289.19
2	स्वःस्त्रोत	यूको बैंक काँगडा	10230100004395	0
3	स्वःस्त्रोत	एच•डी•एफ•सी•बैंक काँगड़ा	50100174100944	185493
4	आई.ए.वाई	यूको बैंक काँगड़ा	10230110021880	0

5	14वाँ वित्तायोग	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगड़ा	1159104000039233	0
6	15वाँ वित्तायोग	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगड़ा	115910400004940	3562949.62
7	हस्तगत शेष			1917
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				₹4598648.81
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹4869652.19
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष (संलग्न **परिशिष्ट–8**)				₹4598648.81
अन्तरः–				**271003.38**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही एवं बैंक शेषों के नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.71 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जोगीपुर द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹271003.38/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/48 दिनांकः 27.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतःइस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रतिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में

नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके, बैंक एंव रोकड बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/53 दिनांक: 29/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर तथ्यों रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ड.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता सख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला

जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनो के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत जोगीपुर द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग–अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानों की 14वां व 15वां वितायोग के अतिरिक्त ,सयुंक्त रोकड़बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, पांचवा वित, एस.डी.आर.एफ, वी.के.वी.एन.वाई आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमो एंव निर्देशो के विरूद्ध खाता संख्या 20033055055 में ही प्राप्त अनुदानो को जमा किया गया था तथा इससे ही व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त स्वःस्त्रोत के लिये अलग–2 तीन खाते भी खोले गये थे, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जोकि नियमो के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/53 दिनांकः 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं निर्देशानुसार स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एंवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 निवेश न करने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणवधि के दौरान ₹470737.30 से ₹848289.19 तक की राशि संलग्न **परिशिष्ट "8"** अनुसार शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/53 दिनांकः 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01. 2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप—1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹38.30 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां /2023/–38 दिनांकः–20.01.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]1 व [redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹38,29,553/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	3829553
		कुल जोड	3829553

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्येश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमो के अनुसार अनुदान रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.65 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/—38 दिनांकः 20/01/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्ति कर /गृहकर की मद में ₹64700/— की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/53 दिनांकः 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.07 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹ 200

(सामान्य) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 31 विवाह पंजीकृत किये गये ,जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी। जवकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹6950 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां0 / 2023 / 53 दिनांकः 29 / 01 / 2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत जोगीपुर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 04 / जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत जोगीपुर द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्नानुसार वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021–22	600
2	2022–23	4400
	जोड	5000

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.कां./2024/53 दिनांकः 29/01/2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत जोगीपुर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/जी.पी. जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली/प्राप्त की गई राशि के वर्णित नियम प्रावधान अनुसार सरकारी कोष में जमा न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इस राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹6.30 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जोगीपुर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"5" पर संकलित राशि ₹6,29,546/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका। फलस्वरूप क्रय सामग्री के दुरूपयोग उसमें रिसन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.कां./2024/53 दिनांकः 29/01/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹12.06 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत जोगीपुर के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–"6" में दिए गए विवरणानुसार ₹12,06,029.39/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव़ को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/53 दिनांकः 29/01/2024

द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 04/जी. पी जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹2.11 लाख की राजस्व हानि:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉंजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"7"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹210723.16/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.कां/2024/53 दिनांक: 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलो से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। अंकेक्षण में प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता

को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समुचित समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कनसेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु देय रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान करना:–

1.निर्माण (वाटर कोर्स) कुल्ह/पकडण्डी दलीप चन्द की जमीन से मेहर चन्द की जमीन की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 9170 के पृष्ठ संख्या 64, 65 व 66 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 0007459, दिनांक 19.04.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 120 बैग का कय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप राशि ₹8736 का अधिक भुगतान किया गया।

2..निर्माण (वाटर कोर्स) कुल्ह निशा के घर से रमेश की जमीन की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 9170 के पृष्ठ संख्या 55 व 56 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 0007461, दिनांक 19.04.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री

सीमेंट 90 बैग का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप ₹6147 का अधिक भुगतान किया गया।

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	नरेगा	सीमेंट	120 बैग	93 बैग	27बैग	323.55	8736
2.	नरेगा	सीमेंट	90बैग	71बैग	19बैग	323.55	6147
					जोड		14883

सीमेंटः–

1.Item- P/L(1:4:8) = 21.97 cu3 + 5%(Varition)=23.07cu3X 3.40 (Cement Factor) = 78Bag
Item- P/L(1:3:6) = 3.38 cu3 + 5%(Varition)=03.54cu3X 4.40 (Cement Factor) = 15Bag
Total =93Bag

2.Item- P/L(1:4:8) =19.85cu3 +5%(Varition)=20.84cu3X 3.40 (Cement Factor) = 70.85
or Say 71 Bag

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–53 दिनांकः 29.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी। प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल/तथ्यपूर्ण न होने के कारण संतोषजनक नही है।

अतः अधिक भुगतान/खपत बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 संयुक्त हस्ताक्षर युक्त भुगतान आदेश के बिना ही ₹15.48 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹15,47,571/– (पैरा संख्या–9 के अनुसार) का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानो की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/53 दिनांकः–29/01/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत जोगीपुर के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–04/जी.पी जोगीपुर दिनांक 29.01.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9 ₹15.48 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अकेक्षण के दौरान ,चयनित माह के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशि ₹15,47,571/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया , जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क. स.	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	14वां वित्त	05/19.07. 2021	निर्माण मोक्षधाम हलेडकलां वार्ड–1	71612
2	14वां वित्त	05/19.07. 2021	रख–रखाव शमशानघाट वीरभद्र–1	8100
3	14वां वित्त	07,09/19.07. 21,22.07.21	मुरम्मत बाबडी व रेलिंग जोगीपुर वार्ड–11	39880
4	14वां वित्त	08/22.07.21	रख–रखाव शमशानघाट वीरभद्र–2	12240
5	14वां वित्त	11,12,13/22. 07.21	रख–रखाव शमशानघाट वीरभद्र	37548
6	मनरेगा	निल/05.07.21	निर्माण कुल्ह पकडण्डी रवि कुमार के घर से मेन रोड तक	23364
7	मनरेगा	निल/05.07.21	निर्माण कुल्ह सफाई उतम चन्द जमीन से प्रताप चन्द जमीन तक	23760
8	मनरेगा	निल/05.07.	निर्माण कुल्ह सफाई शनि देव से खडा चला	57770

		21,20.07.21		
9	मनरेगा	निल / 05.07. 21, 20.07.21	निर्माण वाटर कोर्स मठ से शिव मन्दिर	60088
10	मनरेगा	निल / 05.07.21	निर्माण वाटर कोर्स सफाई मठ से पटवार खाना	35119
11	मनरेगा	निल / 20.07. 21,05.07.21	निर्माण वाटर कोर्स सफाई कुलग मन्दिर से देवी सिंह जमीन	75922
12	मनरेगा	निल / 20.07.21	नि0 जीपेवल रोड शिव मन्दिर से सतवाल सोनी के घर तक	16849
13	मनरेगा	निल / 20.07.21	निर्माण वाटर कोर्स सफाई नेहर से बालाजी अस्पताल	32886
14	मनरेगा	निल / 20.07.21	नि0 रास्ता इंटरलॉक टाईल्स मेन रोड से कश्मीर सिंह जमीन	11977
15	मनरेगा	निल / 20.07. 21,05.07.21,06. 07.21	निर्माण वाटर कोर्स सफाई सहदेव जमीन से हरनाम जमीन तक	100247
16	मनरेगा	निल / 05.07.21	नि0 रास्ता / कुल्ह स्वरूप चन्द के के घर से हरि राम जमीन	24156
17	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 जीपेवल रोड राम सिंह के घर से अम्बिका बिहार	32368
18	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 जीपेवल रोड तारा चन्द जमीन से केवल कुमार जमीन तक	48270
19	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 जीपेवल रोड महिला मंडल हबन से विश्न घर तक	50285
20	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 जीपेवल रोड अजय चौधरी घर से चुन्नी घर तक	28393
21	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 जीपेवल रोड गुलेरिया घर से मेन रोड	39298
22	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 जीपेवल रोड गुप्त गंगा रोड से कान्ता सरोच के घर तक	30853
23	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण कुल्ह देश राज की जमीन से करतार चन्द जमीन	77440
24	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण कुल्ह निम्मो देवी की जमीन से मांगा राम जमीन	59943
25	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण कुल्ह निम्मो देवी की जमीन से मांगा राम जमीन	123525
26	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण जीपेवल रोड स्कूल से कच्छियारी रोड	69730
27	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण जीपेवल रोड पीपल पेड से कुटिया	105588
28	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण जीपेवल रोड नरेश जमीन से मेन रोड	79255
29	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण रास्ता जमना देवी गउशाला से सतीश जमीन	31405
30	मनरेगा	निल / 06.07.21	निर्माण कुल्ह राज कुमार की जमीन से स्वरूप जमीन	84097
31	मनरेगा	निल / 06.07.21	नि0 कुल्ह / डंगा प्रताप जमीन से राकेश जमीन	11324
32	15वां वित्त	37 / 10.02.23	खेल का मैदान वार्ड–1	16485
33	15वां वित्त	40 / 17.02.23	नि0 रास्ता मेन रोड से ईश्वर दास के घर तक	27794
			कुल योग	1547571

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत जोगीपुर से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/53 दिनांकः 29/01/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–04/जी.पी. जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तथ्यपूर्ण न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओ को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त नियम) 2002 के नियम 101 (2) (111) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जॉच उपरान्त तथा पैरा संख्या "9" दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैः–

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निमार्ण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोगीपुर द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जॉच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5.निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/53 दिनांक: 29.01.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत जोगीपुर को अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– 04/जी.पी. जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अंर्तगत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/38 दिनांक: 20.01.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 04/जी.पी. जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी

10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/–38 दिनांकः 20.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 04/जी.पी. जोगीपुर दिनांक 29/01/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

13.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत जोगीपुर द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया

गया था। ग्राम पंचायत जोगीपुर के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रखरखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1721-1725 का० / 50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)390 / 2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
5. **पंजीकृत** सचिव, ग्राम पंचायत जोगीपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

का० / 50

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

ANNEXURE -1 पैरा संख्या- 4.1 (क)

FINANCIAL POSITION OF GP JOGIPUR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	629738.30	1102735.89	1732474.19	542369.00	1190105.19
2022-23	1190105.19	995033.00	2185138.19	1145039.00	1040099.19

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1747757.62	8287404.00	10035161.62	7163093.00	2872068.62
2022-23	2872068.62	9124725.00	11996793.62	8167240.62	3829553.00

~~22~~ 23

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या "6.2")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP JOGIPUR FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2	IAY	2021-22	7633.00	193.00	7826.00	0.00	7826.00
		2022-23	7826.00	203.00	8029.00	8029.00	0.00
3	14TH FC	2021-22	848400.62	18370.00	866770.62	866770.00	0.62
		2022-23	0.62	2127.00	2127.62	2127.62	0.00
4	15TH FC	2021-22	891724.00	2069996.00	2961720.00	97478.00	2864242.00
		2022-23	2864242.00	3596442.00	6460684.00	2631131.00	3829553.00
5	MNREGA	2021-22	0.00	6198845.00	6198845.00	6198845.00	0.00
		2022-23	0.00	5525953.00	5525953.00	5525953.00	0.00

(परिशिष्ट " 3 " पैरा संख्या " 7.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत जोगीपुर, विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176001

दिनांक 31-03-2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2021-22 में 1050 तथा 2022-23 में 1148 परिवारों का ₹50/-प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	₹ 45,400.00	1050	₹ 50.00	₹ 52,500.00	₹ 97,900.00	₹ 51,850.00	₹ 46,050.00
2022-23	₹ 46,050.00	1148	₹ 50.00	₹ 57,400.00	₹ 1,03,450.00	₹ 38,750.00	₹ 64,700.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 64,700/-** है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जोगीपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि०प्र०)

25

परिशिष्ट " 4 "

ग्राम पंचायत जोगीपुर, विकास खण्ड कांगड़ा विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2023 तक वसूली हेतु शेष (पैरा संख्या " 7.2 " में संदर्भित)

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	टिंकल कुमार	26.04.2021	30.06.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
2	अमन कुमार	27.04.2021	30.06.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
3	गौरव सलुरीया	26.04.2021	30.06.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
4	सचिन कुमार	26.05.2021	10.06.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
5	परवीन कुमार	30.05.2021	17.06.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6	अश्वनी कुमार	24.05.2021	25.06.2021	₹ 50.00	₹ 0.00	₹ 50.00
7	सन्नी कुमार	11.10.2021	27.10.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
8	मनीष कुमार	07.10.2021	02.11.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
9	अनीश शर्मा	20.10.2021	24.11.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
10	अक्षय कुमार	29.10.2021	09.11.2021	₹ 25.00	₹ 0.00	₹ 25.00
11	ऋषव धीमान	11.10 2021	10.11.2021	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
12	राजेश कुमार	07.11.2021	02.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
13	विशाल	01.12.2021	08.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
14	एकांत चौधरी	25.10.2021	08.12.2021	₹ 50.00	₹ 0.00	₹ 50.00
15	अजय कुमार	30.11.2021	27.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
16	आयुष मेहरा	08.12.2021	27.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
17	अंकुश कुमार	06.12.2021	27.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
18	तिलक राज	01.12.2021	29.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
19	राहुल	11.12.2021	30.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
20	रजनीश गुलेरिया	11.12.2021	31.12.2021	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
21	अभिषेक	13.12.2021	07.01.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
22	अभिषेक कुमार	18.10.2021	07.01.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
23	अनिल कुमार	01.12.2021	10.01.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
24	अंशु कुमार	30.11.2021	22.01.2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
25	जोनू	24.01.2022	14.02.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
26	अनिल कुमार	05.02.2022	22.02.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
27	गौतम सलुरीया	04.08.2022	23.08.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
28	अंशुल धीमान	02.12.2022	13.12.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
29	रजत कुमार	02.12.2022	19.12.2022	₹ 25.00	₹ 0.00	₹ 25.00
30	मोहित डोगरा	04.12.2022	30.12.2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
31	रोहित कुमार	10.02.2023	23.02.2023	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
			कुल	₹ 6,950.00	Nil	₹ 6,950.00

-25-

ग्राम पंचायत जोगीपुर विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश , स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना। पैरा संख्या– "81" में संदर्भित। परिशिष्ट–"5"

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत	393/30.07.21	17cu3@1500	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	25500	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी	400/03.07.20	13.44cu3@1500 8.56cu3@1250	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	20160 10700	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
3.मनरेगा	निल/06 .07.2021	कंकरीट बोर्ड	615,610,614,616/निल,30. 07.2020	4@2950	मै0 मैजिक बेस कंकरीट वकर्स कछियारी कांगडा	11800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
4.मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत	401/30.04.20	16.01cu3@1500	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	24015	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7.मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी	403/30.04. 2020	15.67cu3@1500 2.32cu3@1250	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	23505 2900	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी	399/30.04. 2020	28.92cu3@1500 21.08u3@1250	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	43380 26350	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत	412/01.04. 2020	8.83cu3@1500	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	13245	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10. मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी	412/01.04. 2020	10.16cu3@1500 19.24cu3@1250	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	15240 24050	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11. मनरेगा	निल/06 .07.2021	कंकरीट बोर्ड	620,617,621,613,612/ निल	5@2950	मै0 मैजिक बेस कंकरीट वकर्स कछियारी कांगडा	14750	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12. मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी	396/30.04. 2020	11.86cu3@1500 15.14cu3@1250	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	17790 18925	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13. मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी वोल्डर	404/30.04. 2020	16.70cu3@1500 28.95cu3@1250 25.34cu3@1000	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	25050 36188 25340	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
14. मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत बजरी वोल्डर	398/30.07. 2020	13.25cu3@1500 1.74cu3@1250 2.05cu3@1000	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	19875 2175 2050	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15. मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत	413/01.04.20	07.22cu3@1400	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	10108	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
16. मनरेगा	निल/06 .07.2021	रेत	402/30.04.20	17.90cu3@1500	मै0 विवेक कुमार सरकारी ठेकेदार बिरता घुरकडी	26850	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
17. मनरेगा	213/06 .07.2021	ब्रिक	178/01.03. 2021	12900@8	मै0अश्वनी कुमार एंड ब्रदर्ज उजैन धर्मशाला	103200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
18. मनरेगा	215/06 .07.2021	ब्रिक	179/01.03. 2021	10800@8	मै0अश्वनी कुमार एंड ब्रदर्ज उजैन धर्मशाला	86400	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
					कुल जोड	629546	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जोगीपुर

परिशिष्ट–"6 "

ग्राम पंचायत जोगीपुर विकास खण्ड कांगडा, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश , औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना। पैरा संख्या– "8.2" में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	सामग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1.मनरेगा	निल/10. 02.2023	फाइबर बोर्ड 3ft x 2ft लिखाई के साथ	616, 619, 620, 621, 622, 624, 625, 627, 631/30.09.2022, 623, 626, 630,/15.10.2022, 615/30.10.2022	13@2950	मैं0 मैजिक बेस कंक्रीट वर्क कच्छियारी	38350	एक निविदा प्रस्तुत की गई
2.मनरेगा	निल/10. 02.2023	कंक्रीट बोर्ड 2 ft x 1.5 ft	628/30.09.2022	01@1000	मैं0 मैजिक बेस कंक्रीट वर्क कच्छियारी	1000	एक निविदा प्रस्तुत की गई
3.मनरेगा	01/09. 02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm	256/30.09.2022	15 cum @ 1111 06 cum @ 1281 11.03 cum @ 1276	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	16665 7686 14074.28	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
4.मनरेगा	02/09. 02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm पत्थर	257/30.09.2022	20 cum @ 1111 09 cum @ 1281 27 cum @ 1276 51 cum @ 766	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	22220 11529 34452 39066	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
5.मनरेगा	03/09. 02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm पत्थर	258/30.09.2022	13 cum @ 1111 08 cum @ 1281 18 cum @ 1276 15 cum @ 766	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	14443 10248 22968 11490	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
6.मनरेगा	04/06.02. 2023	पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm लाल पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm सफेद	43/01.09.2022	1200 @ 23.48 4120 @ 21.18	मैं0 कृष्णा इंटरपराईज़ेस स्पेल तहसील ज्वाली	28176 87261	एक निविदा प्रस्तुत की गई
7.मनरेगा	05/09. 02.2023	रेत बजरी 20 mm बजरी 40 mm	247/15.09.2022	95 cum @ 1111 05 cum @ 1276 11 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	10554.5 6380 11759	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
8.मनरेगा	निल/ 10.02.20 23	पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm लाल पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm सफेद	49/01.09.2022	1400 @ 23.40 4280 @ 21.18	मैं0 कृष्णा इंटरपराईज़ेस स्पेल तहसील ज्वाली	32760 90650.4	एक निविदाये प्रस्तुत की गई
9.मनरेगा	06/09. 02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm	242/30.07.2022	8.83 cum @ 1111 4.48 cum @ 1281 12.43 cum @ 1276	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	9810.13 5738.88 15860.68	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
10.मनरेगा	07 /09. 02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm बजरी 40 mm	244/30.09.2022	6.7 cum @ 1111 0.9 cum @ 1281 5.2 cum @ 1276 6.8 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	7443.7 1152.9 6635.2 7269.2	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
11.मनरेगा	08/09. 02.2023	रेत बजरी	245/30.09.2022	15 cum @ 1200 14 cum @ 950	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	18000 13300	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
12.मनरेगा	09/09. 02.2023	रेत बजरी शटरिंग	243/01.04.2022	17 cum @ 1450 35 cum @ 1250 83 sqmt @ 100	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	24650 43750 8300	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
13.मनरेगा	10 /09. 02.2023	रेत बजरी 20 mm बजरी 40 mm	251/30.09.2022	7.25 cum @ 1111 5 cum @ 1276 5 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	8054.75 6380 5345	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
14.मनरेगा	निल/	पेवर ब्लॉक टाइल्स 60	48/12.09.2022	1150 @ 23.40	मैं0 कृष्णा इंटरपराईज़ेस	26910	एक निविदाये प्रस्तुत

28

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जोगीपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

	10.02.2023	mm लाल पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm सफेद		3000 @ 21.18	स्पेल तहसील ज्वाली	63540	की गई
15.मनरेगा	11 / 09.02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm	252/30.09.2022	7.32 cum @ 1111 1.14 cum @ 1281 3.48 cum @ 1276	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	8132.52 1460.34 4440.48	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
16.मनरेगा	12 / 09.02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm पत्थर	253/30.09.2022	7.88 cum @ 1111 5 cum @ 1281 9 cum @ 1276 23 cum @ 766	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	8754.68 6405 11484 17618	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
17.मनरेगा	13 / 09.02.2023	रेत बजरी 20 mm बजरी 40 mm	249/30.09.2022	15 cum @ 1111 8 cum @ 1276 11 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	16665 10208 11759	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
18.मनरेगा	14 / 09.02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm	246/30.09.2022	16 cum @ 1111 12 cum @ 1281 20 cum @ 1276	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	17776 15372 25520	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
19.मनरेगा	15 / 09.02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm बजरी 40 mm	254/30.09.2022	10.70 cum @ 1111 03 cum @ 1281 13 cum @ 1276 04 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	11887 3843 16588 4276	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
20.मनरेगा	16 / 09.02.2023	रेत बजरी 20 mm बजरी 40 mm	248/15.10.2022	11 cum @ 1111 4.5 cum @ 1276 5 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	12221 5742 5345	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
21.मनरेगा	निल / 10.02.2023	पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm लाल पेवर ब्लॉक टाइल्स 60 mm सफेद	45/01.09.2022	1200 @ 23.48 4120 @ 21.18	मैं0 कृष्णा इंटरपराईजेस स्पेल तहसील ज्वाली	28176 87261.6	एक निविदाये प्रस्तुत की गई
22.मनरेगा	17 / 09.02.2023	रेत बजरी 20 mm बजरी 40 mm	250/30.09.2022	9.85 cum @ 1111 5.8 cum @ 1276 12 cum @ 1069	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	10943.35 7400.80 12828	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
23.मनरेगा	18 / 09.02.2023	रेत बजरी 10 mm बजरी 20 mm पत्थर	255/30.09.2022	11 cum @ 1111 05 cum @ 1281 15 cum @ 1276 09 cum @ 766	मैं0 अरुण चौधरी बड़ी हलेड़	12221 6405 19140 6894	दो निविदाये प्रस्तुत की गई
24 14वां थ्वत	08 / 22.07.21	इंटरलॉक टाईल्स	20 / 18.04.2021	720@17	मैं0 अश्वनी कुमार एंड ब्रदर्ज उजैन्न धर्मशाला रोड कांगड़ा	12240	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
25.14वां वित	14 / 22.07.21	ऐंगल	1817 / 05.06.2021	-	मैं0 अशोक टेडर्स धर्मशाला नजदीक इंडस्टीयल इस्टेट कांगड़ा	3150	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
					कुल जोड	**1206029.39**	

Checked

परिशिष्ट– 7

ग्राम पंचायत जोगीपुर खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा संख्या–"8.3" के सन्दर्भ में)

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
1.14TH FC								
M/s Ashwani Kumar &Bros Ujjain Kangra	09/22.07.21	13/06.04.21	Sand	4.290	1.62	6.950	80	555.98
			Bajri	11.300	1.52	17.176	80	1374.08
do	10/22.07.21	16/08.04.2021	Sand	3.960	1.62	6.415	80	513.22
			Bajri	2.630	1.52	3.998	80	319.81
do	12/22.07.2021	15/08.04.21	Sand	3.640	1.52	5.533	80	442.62
			Bajri	2.710	1.62	4.390	80	351.22
do	13/22.07.2021	14/08.04.2021	Sand	4.020	1.52	6.110	80	488.83
			Bajri	3.700	1.62	5.994	80	479.52
							Total	**4525.28**
2.MNREGA								
do	nil/06.07.2021	01/05.12.20	Sand	10.920	1.62	17.690	80	1415.23
			Bajri	13.590	1.52	20.657	80	1652.54
do	nil/06.07.2021	04/02.06.2021	Sand	17.830	1.62	28.885	80	2310.77
			Bajri	17.950	1.52	27.284	80	2182.72
do	nil/06.07.2021	04/05.03.2020	Sand	3.500	1.62	5.670	80	453.60
			Bajri	1.670	1.52	2.538	80	203.07
do	nil/06.07.2021	05/05.11.2022	Sand	17.940	1.62	29.063	80	2325.02
			Bajri	18.700	1.52	28.424	80	2273.92
do	nil/06.07.2021	06/02.06.2021	Sand	10.620	1.62	17.204	80	1376.35
			Bajri	9.970	1.52	15.154	80	1212.35
do	nil/06.07.2021	09/05.10.2020	Sand	17.460	1.62	28.285	80	2262.82
			Bajri	10.510	1.52	15.975	80	1278.02
do	nil/06.07.2021	08/08.10.2020	Sand	12.570	1.62	20.363	80	1629.07
			Bajri	9.610	1.52	14.607	80	1168.58
do	nil/06.07.2021	393,400/30.07.2020	Sand	30.440	1.62	49.313	80	3945.02
			Bajri	8.560	1.52	13.011	80	1040.90
do	nil/06.07.2021	401,403/30.04.2020	Sand	31.670	1.62	51.305	80	4104.43
			Bajri	2.320	1.52	3.526	80	282.11
do	nil/06.07.2021	399/30.07.2020	Sand	28.920	1.62	46.850	80	3748.03
			Bajri	21.080	1.52	32.042	80	2563.33
do	nil/06.07.2021	412,394/01.04.2020,30.04.2020	Sand	18.690	1.62	30.278	80	2422.22
			Bajri	19.240	1.52	29.245	80	2339.58
do	nil/06.07.2021	405/30.07.2020	Sand	10.680	1.62	17.302	80	1384.13
			Bajri	30.080	1.52	45.722	80	3657.73
			Stone	22.000	2.24	49.280	80	3942.40
do	nil/06.07.2021	404/30.04.2020	Sand	16.700	1.62	27.054	80	2164.32
			Bajri	28.950	1.52	44.004	80	3520.32
			Stone	25.340	2.24	56.762	80	4540.93
do	13/22.07.2021	396/30.04.2020	Sand	11.86	1.52	18.027	80	1442.18
			Bajri	15.140	1.62	24.527	80	1962.14
do	nil/06.07.2021	398,413,402/30.07.2020,01.04.2020,30.042020	Sand	38.370	1.62	62.159	80	4972.75

29

पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत जोगीपुर
विकास खण्ड कांगड़ा

			Bajri	1.740	1.52	2.645	80	211.58
			Stone	2.050	2.24	4.592	80	367.36
M/s Arun Choudhary Bari Haler	01/09.02.2023	256/30.09.2022	Sand	15.000	1.62	24.300	80.00	1944.00
			Bajri	17.030	1.52	25.886	80.00	2070.85
do	02/09.02.2023	257/30.09.2022	Sand	20.000	1.62	32.400	80.00	2592.00
			Bajri	36.000	1.52	54.720	80.00	4377.60
			Stone	51.000	2.24	114.240	80.00	9139.20
do	03/22.02.2023	258/30.09.2022	Sand	13.000	1.62	21.060	80.00	1684.80
			Bajri	26.000	1.52	39.520	80.00	3161.60
			Stone	15.000	2.24	33.600	80.00	2688.00
do	05/09.02.2023	247/15.09.2022	Sand	95.000	1.62	153.900	80.00	12312.00
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80.00	1945.60
do	06/09.02.2023	242/30.07.2022	Sand	8.830	1.62	14.305	80.00	1144.37
			Bajri	16.910	1.52	25.703	80.00	2056.26
do	07/09.02.2023	244/30.09.2022	Sand	6.700	1.62	10.854	80.00	868.32
			Bajri	12.900	1.52	19.608	80.00	1568.64
do	08/09.02.2023	245/30.09.2022	Sand	15.000	1.62	24.300	80.00	1944.00
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80.00	1702.40
do	09/09.02.2023	243/01.04.2022	Sand	17.000	1.62	27.540	80.00	2203.20
			Bajri	35.000	1.52	53.200	80.00	4256.00
do	10/09.02.2023	251/30.09.2022	Sand	7.250	1.62	11.745	80.00	939.60
			Bajri	10.000	1.52	15.200	80.00	1216.00
do	11/09.02.2023	252/30.09.2022	Sand	7.320	1.62	11.858	80.00	948.67
			Bajri	4.620	1.52	7.022	80.00	561.79
do	12/09.02.2023	253/30.09.2022	Sand	7.880	1.62	12.766	80.00	1021.25
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80.00	1702.40
			Stone	23.000	2.24	51.520	80.00	4121.60
do	13/09.02.2023	249/30.09.2022	Sand	15.000	1.62	24.300	80.00	1944.00
			Bajri	19.000	1.52	28.880	80.00	2310.40
do	14/09.02.2023	246/30.09.2022	Sand	16.000	1.62	25.920	80.00	2073.60
			Bajri	32.000	1.52	48.640	80.00	3891.20
do	15/09.02.2023	254/30.09.2022	Sand	10.700	1.62	17.334	80.00	1386.72
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80.00	2432.00
do	16/09.02.2023	248/15.10.2022	Sand	11.000	1.62	17.820	80.00	1425.60
			Bajri	9.500	1.52	14.440	80.00	1155.20
do	17/09.02.2023	250/30.09.2022	Sand	9.830	1.62	15.925	80.00	1273.97
			Bajri	17.800	1.52	27.056	80.00	2164.48
do	18/09.02.2023	255/30.09.2022	Sand	11.000	1.62	17.820	80.00	1425.60
			Bajri	20.000	1.52	30.400	80.00	2432.00
			Stone	9.000	2.24	20.160	80.00	1612.80
							Total	**164053.25**
							Total(1+2)	**168578.53**
							25% Penalty	**42144.63**
							G.Total	**210723.16**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
... कांगड़ा (हि० प्र०)

परिशिष्ट '8'   पैरा 4(ख) व 5 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत जोगीपुर,विकास खण्ड काँगड़ा ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत जोगीपुर के दिनांक 01.04.2021 व 31.03.2023 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.21को	बैंक शेष 31.03.23 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित्त / वी.के.वी.एन.वाई	का•के•सह•बैंक काँगडा	20033055055	470737.30	848289.19
2	स्वःस्त्रोत	यूको बैंक काँगडा	10230100004395	10037	0
3	स्वःस्त्रोत	एच•डी•एफ•सी•बैंक काँगडा	50100174100944	148964	185493
4	आई.ए.वाई	यूको बैंक काँगडा	10230110021880	7633	0
5	14वाँ वित्तायोग	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगडा	115910400003923З	848400.62	0
6	15वाँ वित्तायोग	आई•डी•बी•आई•बैंक काँगडा	115910400004940	904660	3562949.62
7	हस्तगत शेष			572	1917
			कुल जोड.	2391003.92	4598648.81

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जोगीपुर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि०प्र०)